

फर्द अहकाम

रामनाथ बनाम रामकिशोर व श्रम
 -घारा- S3,188 R.T. Act

गाम न्यायालय

कस संख्या 88/2019

क्र संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/11/19	यह याद दारी की ओर से एड. श्री रामकरण शर्मा ने अन्तर्गत घारा S3,188 R.T. Act के तहत पेश किया गया दस्तावेज रजिस्ट्रार हो। यानी अधिकारी शर्मा को जारी ठेका दिनांक 2016/19 को पेश हो।	
	20/11/19	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/19 पेश हुई।	
	19/8/19	पत्रावली आज्ञा जारी रामनाथ शर्मा ने दस्तावेजों का अन्तर्गत पर प्रस्तुत करने पर पेश हुई। दारी स्वयं उपस्थित जिसको पहचान उनके अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उक्त किया कि उक्त प्रकार में दारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं चाहता है इसीलिए याद को रजिस्ट्रार रखा किने जान लेने किने दस्तावेज। दारी व उक्त अधिवक्ता को बुलाया गया। बुलावे के उपरांत प्रस्तुत प्रमाण का विश्लेषण कर लेना किया जाता है तथा याद को विश्लेषण करने को सूचित प्रदान की जाती है याद को रजिस्ट्रार किया जाता है पत्रावली केसल सुझा लेना संभव रहेगा है। याद को रजिस्ट्रार दस्तावेजों को।	रामनाथ शर्मा Identified by 19/8/19
		(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारमगढ़	

